न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—405/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/405)

1. अमरा उर्फ अमरचंद पुत्र लादू जाति जाट निवासी ग्राम लौहरवाडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. माधु पुत्र सूण्डा जाति रेगर आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम लौहरवाडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

3. करमा पुत्री सुखदेव जाति जाट
4. कैलाश पुत्र काना जाति जाट
5. पुखराज पुत्र गोविन्द जाति जाट
6. राजेश पुत्र गोविन्द जाति जाट
7. छोटू पुत्र लादू जाति जाट
8. प्रहलाद पुत्र काना जाति जाट
9. पार्वती पुत्री काना जाति जाट
10. विमला पुत्री काना जाति जाट
11. शिवराज पुत्र सुखदेव जाति जाट
12. सम्पत पुत्री काना जाति जाट
13. हंसराज पुत्र सुखदेव जाति जाट
14. श्री नौरत पुत्र श्री जसराज व कंचन जाति जाट
15. श्री मुन्ना पुत्र जसराज व कंचन जाति जाट निवासी ग्राम लौहरवाडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

परफोर्मा रेस्पोडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 02.09.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद अजमेर राजस्व वाद संख्या 14/2021.

उपस्थितः—

1. श्री सुखदेव चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री के0सी0 बिजावत, जीमल जई अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 15 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—15.07.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2021 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रकरण में दिनांक 02.09.2022 को निर्णय पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2021 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 3 से 15 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि न्यायालय के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्त0 अधिनियम 1955 विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2022 उनवान माधु बनाम अमरा उर्फ अमरचन्द व अन्य प्रकरण संख्या 14/2021 के विरूद्ध बाबत प्रस्तुत की गयी जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश की अपलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर वाद पत्र अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तत्पश्चात नकले इत्यादि प्राप्त हुई एंव अपील करने की सलाह प्राप्त कर जानकारी से अविलम्ब न्यायालय में अपील पेश की गयी है इस कारण अपील पेश करने में देरी हुई है। वह विलम्ब उपरोक्तानुसार क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के

गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट/वादी के लघुतम मार्ग हेतु खसरा नम्बर 3548, 3551 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है खसरा नम्बर 3557 में पाल में जो कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट से सुस्पष्ट है एंव पाल में से रास्ता नहीं दिया जा सकता है एंव खसरा नम्बर 3557 में मौके पर रास्ता चलता हुआ होने का कोई आलामात नही है एंव उक्त खसरा नम्बर पर पाल बनी हुई है। केवल मात्र प्रार्थी को हैरान व परेशान करने की नियत से उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं एंव कौनसा ग्रामवासी उक्त मार्ग से आवागमन करता है अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट नहीं किया है। भू.अ.नि. ने अपनी मौका रिपौर्ट में कहीं भी दर्शित नहीं किया कि खसरा नम्बर 3557 से रेस्पोडेन्ट/वादी आवागमन करता हो तथा आवागमन के आलामात मौजूद हो केवल मात्र जवाब कुनिन्दा को हैरान व परेशान करने की नियत से उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। खसरा नम्बर 3557 में मौके पर रास्ता चलता हुआ होने का कोई आलामात नही है एंव उक्त खसरा नम्बर पर पाल बनी हुई है। केवल मात्र अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं एंव कौनसा ग्रामवासी उक्त मार्ग से आवागमन करता है अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट नहीं किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251ए के प्रावधानों के विपरित उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिले निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2021 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2022 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 3542, 3543, 3544, 3553, 3554, 3556, 3558, 3569 के आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है जिसके समीप ही अप्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासीयों की भूमि स्थित है। प्रार्थी व अन्य ग्रामवासी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतू ग्राम लोहरवाडा खसरा नं 3357 रकबा 0.07 किस्म गैर मुमकिन रास्ता का विगत सौ वर्षो से उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त मार्ग को बाधा रहित करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया किन्तु कोई उचित कार्रवाई मार्ग खुलवाने हेतु नहीं की गई। अतः धारा 251ए राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षी की खातेदारी में दर्ज गैर मुमकिन रास्ते को डी०एल०सी० की दरों पर प्रार्थी को उपलब्ध कराया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं किए

जाने से उक्त निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.9.2022 को स्वीकार किया जाकर ग्राम लोहरवाडा के खसरा नम्बर 3557 रकबा 0.07 किस्म गै0मु0 रास्ते को अपीलांट/अप्रार्थीगण की खातेदारी में से सिवायचक खाते में दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 20.7.2022 के अनुसार *" प्रस्तावित आराजी पर आवागमन हेतु वर्तमान में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में लघुत्तम मार्ग गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 3403 में से होकर खसरा नम्बर 3548, 3551, 3551/5718 व 3552 में से स्वयं के खेत में जाने हेतु प्रस्तावित किया है तथा इसके साथ ही खसरा नम्बर 3557 गै0मु0 रास्ता जो कि खातेदारी में दर्ज है में से भी प्रार्थीगण के खेत में जाने हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है जो कि लघुत्तम मार्ग रहेगा तथा खसरा नम्बर 3557 में मौके पर खातेदारों ने मिट्टी की पाल बना रखी है। "*

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 3542, 3543, 3544, 3553, 3554, 3556, 3558, 3569 व 3557/5717 की आराजी वर्तमान रेस्पोडेंट की आराजीयात है उक्त आराजीयात पर आवागमन हेतु वर्तमान रेस्पोडेंट के पास कोई सुलभ रास्ता मौजूद नहीं होने से अपनी आराजीयात पर पहुंच हेतु खसरा नम्बर 3557 जिसकी किस्म राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता के रूप में दर्ज है जो कि अपीलांट की खातेदारी में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शे के आधार पर खसरा नम्बर 3557 गै0मु0 रास्ते को अपीलांट/प्रतिवादी की खातेदारी में से सिवायचक दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए गए जो कि उचित है। क्यों कि उक्त रास्ता ही सबसे लघुत्तम है व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 3557 कि किस्म भी गै0मु0 रास्ता ही है। अपीलांट द्वारा उक्त रास्ते पर मिट्टी डाल रखी है व उक्त रास्ते को बंद किया गया है। वर्तमान रेस्पोडेंट के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। क्यों कि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु नवीन रास्ता उपलब्ध कराने की है। वर्तमान रेस्पोडेंट को अपनी कृषि आराजीयात पर आवागमन हेतु मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्याय की मंशा के अनुकुल है। अतः इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट की खातेदारी आराजीयात में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है व रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। चूंकि प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर पहुंच के लिए रास्ता होना विधि अनुसार आवश्यक माना गया है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। उसके उपरांत ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

समुचित रूप से जांच व परीक्षण करने के बाद ही विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। अर्थात मौके पर कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता आवश्यकताजनित व युक्तियुक्त होना मानते हुए ही रास्ते कायमी के आदेश दिए गए है। अपीलांट अपील के माध्यम से यह कहीं पर भी साबित नहीं कर पाए है कि वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश से किस प्रकार प्रभावित हुए है क्यों कि खसरा नम्बर 3557 पर अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की काश्त नहीं की जा रही है चूंकि खसरा नम्बर 3557 की किस्म पहले से ही गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय किसी प्रकार की विधिक व न्यायिक त्रुटि कारित नहीं हुई है, जिसकी पुष्टि हाजा न्यायालय द्वारा करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2021 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर